



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जयपुर में डिस्कॉम का कनिष्ठ अभियंता 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 14 अप्रैल, गुरुवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट—द्वितीय, जयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सौरभ सिंह जाटव कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सीतापुरा, जयपुर को परिवारी से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट—द्वितीय, जयपुर इकाई को परिवारी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फैक्ट्री में 80 के.वी. का विद्युत कनेक्शन लगाने की एवज में सौरभ सिंह जाटव कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सीतापुरा, जयपुर द्वारा 25 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी स्पेशल यूनिट—द्वितीय, जयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस श्री मांगीलाल एवं पुलिस निरीक्षक श्री शिवराज सिंह तथा उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये सौरभ सिंह जाटव पुत्र श्री भीकम सिंह निवासी फ्लैट नं0 304, प्लॉट नं. 157, कृष्णा सरोवर, मानसरोवर जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सीतापुरा, जयपुर को परिवारी से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।